सख्या- 13/2016-546/71-आयुष-2-2016-09(बी)/ 2007 टी०सी०

प्रेषक

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ

आयुष अनुभाग 2 लखनऊ : दिनांक: 28 मार्च 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 जनपद अलीगढ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के भवन निर्माण् हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/15-16/2634 दिनॉक 08-03-2016 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-329/71-आयुष-2-2016-9(बी)/2007 टी0सी0 दिनॉक 24-2-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ के भवन निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 1249.27 लाख् में से रू0 624.64 लाख् (छ करोड चौबीस लाख् चौसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

1. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
2. कार्य की गुण्वत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
3. पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त विभाग बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30.3.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस कार्य हेतु वह स्वीकृत की जा रही है।
5. उक्त् स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य सो्त से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

2- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना- 03-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना- 24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनॉक 30-3-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2016(1)/71-आयुष-2-2016/तददिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी द्रितीय),उ0प्र0 इलाहाबाद।
2) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3) जिलाधिकारी अलीगढ।
4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ।
5) निदेशक/महाप्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6) परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम ईकाई अलीगढ।
7) वित्त् (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 (समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ)
8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।